# स्थानीय राजपत्र

**परशुराम नगरपालिका द्वारा प्रकाशित**

**जोगबुडा, डडेल्धुरा, सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल**

**खण्ड ९ संख्या ०१ मिति: वि.स.२०८३ साउन ०१ गते**

## भाग १

## स्थानीय सरकार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन, २०७५ को दफा २४(५) बमोजिम परशुराम नगरपालिकाको नगरसभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ।

## परशुराम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३

**प्रस्तावना** : परशुराम नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना सङ्कलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

परशुराम नगरपालिकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ**: (१) यस ऐनको नाम **"परशुराम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३"** रहेको छ।

(२) यो ऐन २०८३ साल श्रावण १ गतेदेखि परशुराम नगरपालिका क्षेत्र भित्र लागु हुनेछ।

२. **सम्पत्ति कर** : (१) परशुराम नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची-१ बमोजिम सम्पत्ति कर लगाई असुल गरिनेछ। घरको मूल्याङ्कन अनुसूची-२ बमोजिम घरको बनौटको आधारमा र जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसूची-३ र अनुसूची-४ बमोजिम गरिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति कर लगाउँदा घर र सो घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर लागाई बाँकी जग्गा र घर नभएका अन्य जग्गामा दफा ३ बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाइनेछ।

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको घर र घरजग्गामा सम्पत्ति कर लाग्ने छैनः-

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गा,

(ख) सरकारी अस्पतालको घर र घरजग्गा,

(ग) गुठीको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गा,

(घ) मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन गरिएको सरकारी शिक्षण संस्था, कम्पनी, समिति, प्राधिकरण, बोर्ड र सरकारी संस्थानको घर र घरजग्गा,

(ङ) मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन भएका सङ्घ, संस्थाको घर र घरजग्गा,

(च) धार्मिक संस्था (मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद आदि) को घर र घरजग्गा,

(छ) खानेपानी सङ्कलन पोखरी, विद्युतगृह, मसानघाट, कब्रिस्तान, कर्वला, मजार, विमानस्थल, बसपार्क, रङ्गशाला, उद्यान, पार्क जस्ता सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरु,

(ज) राजदुतावास, वाणिज्य नियोग, कुटनैतिक नियोगका घर र घरजग्गा।

**३. <u>भूमिकर (मालपोत)</u>** : परशुराम नगरपालिका क्षेत्रभित्र सम्पत्ति कर लाग्ने भूमि बाहेकमा अनुसूची-३ र अनुसूची-४ बमोजिम जग्गाको मूल्याङ्कन गरि अनुसूची-१ बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाई असुल गरिनेछ।

**४. <u>घर जग्गा वहाल कर</u>** : नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूची- ५ बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाई असुल गरिनेछ।

**५. <u>व्यवसाय कर</u>**: नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूची- ६ बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असुल गरिनेछ।

**६. <u>मदिरा व्यवसाय सम्बन्धी शुल्क तथा जरिवाना</u>** : नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मदिरा व्यवसायमा अनुसूची-७ बमोजिम शुल्क तथा जरिवाना लगाई असुल गरिनेछ।

**७. जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर :** कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, वनकस (खर), कवाडी माल प्रचलित कानून बमोजिम निषेधित जीवजन्तु बाहेक अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला वा यस्तै प्रकृतिका वस्तुको व्यावसायिक उपयोग गरे वापत अनुसूची- ८ बमोजिम जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर लगाई असुल गरिनेछ।

८. **वन पैदावारको बिक्री शुल्क** : सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार बिक्री तथा उपयोग सम्बन्धी आफ्नो कार्ययोजना बनाई नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ र अनुसूची- ९ बमोजिम वन पैदावार बिक्री शुल्क लगाई असुल गरिनेछ।

९. **विज्ञापन कर** : नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची- १० बमोजिम विज्ञापन कर लगाई असुल गरिनेछ। तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ।

१०. **मनोरन्जन कर** : नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची- ११ बमोजिम कर लगाई असुल गरिनेछ। तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ।

११. **सवारी साधन कर:** परशुराम नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची- १२ बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिने छ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृती भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ।

१२. **बहाल बिटौरी शुल्क:** परशुराम नगरपालिका क्षेत्रभित्र नगरपालिकाले आफैले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट बजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेको संरचनाको उपयोग बापत अनुसूची- १३ बमोजिम बहाल बिटौरी शुल्क लगाई असुल गरिनेछ।

१३. **पर्यटन शुल्क:** परशुराम नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसूची- १४ मा उल्लेखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृती भई सो कानुनमा अन्यथा व्यबस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ।

१४. **सेवा शुल्क, दस्तुर** : नगरपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची- १५ बमोजिमका स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाई असुल गरिनेछ।

१५. **पार्किङ्ग शुल्क** : नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची- १६ बमोजिम पार्किङ्ग शुल्क लगाई असुल गरिनेछ।

१६. **नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा समेत) बिक्री शुल्क** : नगरपालिका क्षेत्रभित्र भएर बग्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेका र घाटगद्दी तोकिएका नदी /खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, भरान, ग्राभेल र माटो समेतमा अनुसूची- १७ बमोजिम बिक्री शुल्क लगाई असुल गरिनेछ।

१७. **दण्ड जरिवाना** : नगरपालिका क्षेत्रभित्र बग्ने नदी/खोलाबाट नदीजन्य सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेल समेत) आषाढ, श्रावण र भाद्र तीन महिना उत्खनन तथा सङ्कलनको कार्य पूर्णरुपमा बन्द हुनेछ र सो विपरीत कसैले उत्खनन तथा सङ्कलन गरेको पाइएमा अनुसूची-१८ बमोजिम दण्ड जरिवाना गरी असुल गरिनेछ।

१८. <u>कर छुट</u> :यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थालाई अनुसूची- १९ बमोजिम कर छुट दिईनेछ।

१९. <u>दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने</u> : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार यो ऐन र अन्य कानून बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क र कर आंशिक वा पूर्णरुपमा छुट दिन सक्नेछ। त्यस्तो दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क र कर आंशिक वा पूर्णरुपमा छुट दिइएको विवरण प्रत्येक वर्ष नगर सभामा पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको पूर्ण वा आंशिक कर छुट सुविधा कसैले दुरुपयोग गरेमा वा कुनै खास प्रयोजनको लागि छुट सुविधामा प्राप्त गरेको मालवस्तु अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा त्यसरी छुट दिइएको दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर रकम असुल गरी सो रकम बराबर जरिवाना गरिनेछ।

२०. <u>कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि</u>: यस ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागु गरिनेछ।

२१. <u>अन्य व्यवस्था</u> : नगरपालिकाका वडा तथा अन्य कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवानालाई सेवासँग आवद्ध गरी अनिवार्य रुपमा असुल गरी सेवा प्रवाह गर्नु पर्नेछ।

२२. <u>यसै ऐन बमोजिम भएको मानिने</u> : यो ऐन प्रमाणीकरण हुनुअघि भए गरेका काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

२३. <u>साविक बमोजिम हुने</u> : यस ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था यसै बमोजिम र यस ऐनमा उल्लेख नभएको हकमा साविक बमोजिम हुनेछ।

२४. <u>बाधा अड्काउ फुकाउने</u> : यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै बाधा आईपरेमा परशुराम नगरपालिका नगर कार्यपालिकालाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार हुनेछ।

२५. <u>खारेजी</u> : परशुराम नगरपालिकाले जारी गरेका अन्य कानूनका व्यवस्था यस ऐनसँग प्रतिकूल भएमा प्रतिकूल भएको हदसम्म खारेज हुनेछन्।

## अनुसूची- १
### (दफा २ र दफा ३ सँग सम्बन्धित)
### सम्पत्तिकरको दर र  भूमिकर/मालपोतकरको दर

| क्र.स. | भवन वा जग्गाको मूल्य | कर रकम (रु.) | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | १ देखि ५ लाख सम्म | १००/- | |
| २. | ५ लाख देखि ७ लाख ५० हजार सम्म | १५०/- | |
| ३. | ७ लाख ५० हजार देखि १० लाख सम्म | २००/- | |
| ४. | १० लाख देखि १५ लाख सम्म | ३००/- | |
| ५. | १५ लाख देखि २० लाख सम्म | ४००/- | |
| ६. | २० लाख देखि २५ लाख सम्म | ५००/- | |
| ७. | २५ लाख देखि ३० लाख सम्म | ८००/- | |
| ८. | ३० लाख देखि ४० लाख सम्म | १,५००/- | |
| ९. | ४० लाख देखि ५० लाख सम्म | २,०००/- | |
| १०. | ५० लाख देखि ६० लाख सम्म | २,५००/- | |
| ११. | ६० लाख देखि ७० लाख सम्म | ३,०००/- | |
| १२. | ७० लाख देखि ८० लाख सम्म | ३,५००/- | |
| १३. | ८० लाख देखि ९० लाख सम्म | ४,०००/- | |
| १४. | ९० लाख देखि १ करोड सम्म | ५,०००/- | |
| १५. | १ करोड देखि १ करोड ४० लाख सम्म | ६,०००/- | |
| १६. | १ करोड ४० लाख देखि १ करोड ६० लाख सम्म | ७,०००/- | |
| १७. | १ करोड ६० लाख देखि १ करोड ८० लाख सम्म | ८,०००/- | |
| १८. | १ करोड ८० लाख देखि २ करोड सम्म | १०,०००/- | |
| १९. | २ करोड देखि २ करोड ५० लाख सम्म | १२,०००/- | |
| २०. | २ करोड ५० लाख देखि ३ करोड सम्म | १५,०००/- | |
| २१. | ३ करोड देखि ३ करोड ५० लाख सम्म | १७,०००/- | |
| २२. | ३ करोड ५० लाख देखि ४ करोड सम्म | २०,०००/- | |
| २३. | ४ करोड देखि ४ करोड ५० लाख सम्म | २२,०००/- | |
| २४. | ४ करोड ५० लाख देखि ५ करोड सम्म | २५,०००/- | |
| २५. | ५ करोड भन्दा माथि | ३०,०००/- | |

**नोट** :- सडकदेखि घर गोठ आगनले चर्चेको एक रोपनीसम्म सडकले छोएको जमिनमा मालपोत कार्यालयको मूल्याङ्कन दरको आधारमा सम्पत्ति कर/भूमीकर, मालपोत लिने र बाँकी जमिनको मूल्याङ्कन सडकभन्दा बाहिरको मालपोत कार्यालयको मूल्याङ्कनको आधारमा सम्पत्ति कर/भुमीकर, मालपोत निर्धारण गर्ने। बाढीपीडित र असिनाबाट क्षतिग्रस्त परिवारलाई सम्पत्ति कर/भूमीकर, मालपोत मिनाहा गर्ने ।

## अनुसूची- २
(दफा २ सँग सम्बन्धित)

**भवनको ह्रास कट्टी प्रतिसत, ह्रास कट्टी गर्ने अवधि र मूल्याङ्कन दर**

| क्र.स. | संरचनाको वर्गीकरण | आयु वर्ष | ह्रास कट्टी दर | मूल्याङ्कन दर प्रति बर्ग फुट (रु.) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | काठैकाठबाट बनेको घर (कच्ची) | २५ | ०.७५% | ४५०/- | |
| २. | सिमेन्ट जोडाइमा ईटा वा ढुङ्गाको गारो टाइल/जस्ता छाना | २७ | १.००% | ५००/- | |
| ३. | माटोको जोडाइमा ईटा वा ढुङ्गाको गारो जस्तावाला | ३० | १.५०% | ५२०/- | |
| ४. | सिमेन्ट जोडाइमा ईटा वा ढुङ्गाको गारो जस्ता | ४० | २.००% | ५५०/- | |
| ५. | माटोको जोडाइमा ईटा वा ढुङ्गाको गारो आर.सी.सी. छाना | ६० | २.५०% | ५७०/- | |
| ६. | सिमेन्टको जोडाइमा ईटा वा ढुङ्गाको गारो आर.सी.सी. छाना | ८० | २.७०% | ६००/- | |
| ७. | आर.सी.सी.फ्रेम स्ट्रक्चर | १०० | ३.००% | ६३५/- | |

## अनुसूची- ३
### (दफा २ र दफा ३ सँग सम्बन्धित)
### सम्पत्तिकर र भूमिकर/मालपोत प्रयोजनको लागि जग्गाको प्रति आना मूल्याङ्कन दर

**(क) नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्रमुख सडक तथा सडकको दायाँ बायाँका जग्गाको सम्पत्ति कर र भुमिकर/मालपोतको मूल्याङ्कन प्रति आना जग्गाको मूल्य देहाय बमोजिम हुनेछः-**

**वडा नं. १**

- सलौन देखि कलेना सम्मको सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ४४,०००।- (चौवालिस हजार)
- कलेना पाथी बोडा, मकला, कोलखान, जौखेत, मनगडा हुँदै कैनपानी जोड्ने सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. १६५००।- (सोह्र हजार पाँच सय)

**वडा नं. २**

- उमरलेक, गोगन, घङ्गरुकोट, निङलाण सम्मको सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ३३,०००।- (तेत्तीस हजार)
- गोगन हुँदै बसौटी जाने सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु.१६,५००।- (सोह्र हजार पाँच सय)

**वडा नं. ३**

- शिर्ष मिडा कालढुङ्गी देखि सिमल्टा सम्मको सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. २२,०००।- (बाइस हजार)
- शिर्ष बजार हुँदै झोलङ्गे पुल सम्मको १०० मिटर दाँया बायाँ प्रति आना रु. ६०,५००।- (साठी हजार पाँच सय)
- शिर्ष झोलङ्गे पुल हुँदै भिर्कोट बुङा थपला रुपाल सडक खण्डको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. १६,५००।- (सोह्र हजार पाँच सय)
- शिर्ष झोलङ्गे पुल देखि लोपा तोडिन्ना बसौन डङसेली पोकना बसौटी सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ११,०००।- (एघार हजार)
- शिर्ष झोलङ्गे पुलदेखि मार्कु अचलसैन सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ११,०००।- (एघार हजार)

**वडा नं ४**

- कालकुइ बजारदेखि कटाल चौराह छेउ सम्मको सडकको १०० मिटर दायाँ वायाँ प्रति आना रु. १,३७,५००।- (एक लाख सैंतीस हजार पाँच सय)
- गोजाखोला मल्लो कटाल विकास टोल हुँदै बिच सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ८२,५००।- (बयासी हजार पाँच सय)
- गोजा पोखरी हुँदै लटरौडा जाने सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ८२,५००।- (बयासी हजार पाँच सय)

- कटाल रातामाटी शिर्ष सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ४४,०००।- (चौवालिस हजार)
- बुङलटोल देखि गोजा सडकको १०० मिटर दायाँ वाँया प्रति आना रु. ४४,०००।-( चौवालिस हजार)
- मल्लो कटाल, नयाँ बीच सडकको १०० मिटर दायाँ वाँया प्रति आना रु. ४४,०००।—(चौवालिस हजार)
- परशुराम सडकको रज्यौडादेखि बहादुरे सम्मको १०० मिटर दायाँ वाँया प्रति आना रु.८२,५००।- (बयासी हजार पाँच सय)
- कालकुइ बजारदेखि बीच सडक मल्लो कटाल चौराई सम्म १०० मिटर दायाँ वाँया प्रति आना रु. ८२,५००।- (बयासी हजार पाँच सय)
- कालकुइ बजारदेखि बीच हुँदै वडा कार्यालय जाने सडकको १०० मिटर दायाँ वाँया प्रति आना रु. ९३,५००।- (त्रियानब्बे हजार पाँच सय)
- कालकुई बजारदेखि तुफानडाडा गोजा खोला १०० मिटर दायाँ वाँया प्रति आना रु. ६०,५००।- (साठी हजार पाँच सय)

**वडा न ५**

- बहादुरेदेखि भुवनेश्वरी मा. वि. हुँदै कलपटे जाने सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ७१,५००।- (एकहत्तर हजार पाँच सय)
- भुवनेश्वेरी मा. वि. हेल्थपोष्ट हुँदै लामीखाली वुढेनी सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ४४,०००।- (चौवालीस हजार)
- वहादुरे भट्टराई टोल, साउन टोल, ठगुन्ना टोल जाने घाडी सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ४४,०००।- (चौवालीस हजार)
- वुढेनी हुँदै थ्वाल टोल जाने सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ४४,०००।- (चौवालीस हजार)

**वडा नं. ६**

- सरगौडा, ठन्डजाला हुँदै सिमलखेत सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ३८,५००।- (अठ्तीस हजार पाँच सय)
- कुडाछेला वण्ड हुँदै तातोपानी सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ६०,५००।- ( (साठी हजार पाँच सय)

**वडा नं. ७**

साँदनी गडगडेदेखि कराली सम्मको महाकाली करिडोर सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ६०,५००।- (साठी हजार पाँच सय)

- गडगडे, भगपतिटोल, ठुलागाडा शाखा सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ३८,५००।- (अठ्तीस हजार पाँच सय)
- कञ्चनपुर चुनेपानी हुँदै परशुराम नगरपालिकाको गैरिखान पिपलकोट मलास झिलमिला कसान सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. २२,०००।- (बाईस हजार)

वडा नं. ८

- डेवरी, जमरानी, काफलगैरा, कैरेनी लामगाडा साँदनी सडक खण्डको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ३८५००।- (अठ्तीस हजार पाँच सय)
- जमरानी, गुसीगडा हुँदै साईसन पुरनपानी सम्मको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ३३,०००।- (तेत्तीस हजार)

वडा नं ९

- पुन्तुरा पुलदेखि कुयापानी, साँडीघाँटी, थापाथली, गाईबाँधे सम्मको सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ८२,५००।-(बयासी हजार पाँच सय)
- खानीडाँडा देखि डेवरी सम्मको सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ३८,५००।- (अठ्तीस हजार पाँच सय)
- आतरचौकी, कुयापानी, आमथला बीच जफती सत्घाट सम्मको सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. २७,५००।-(सत्ताइस हजार पाँच सय)
- साँडीघाटी हुँदै कुयापानी धनुके हट्वानी जाने सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ३८,५००।-(अठ्तीस हजार पाँच सय)

वडा नं. १०

- साँडीघाटी, वेलडाडी, जालगाडा, भितेसाल, जोजला, सालघाडी, कुर्मुल्ले, ढकानी सम्मको सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ६०,५००।-(साठी हजार पाँच सय)

वडा नं. ११

- एक्लेगडा देखि सलेता सम्मको सडकको १०० मिटर दायाँ वाँया प्रति आना रु. ३८,५००।- (अठ्तीस हजार पाँच सय)
- भट्टेनीदेखि सिमलबण्ड सम्मको सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. २२,०००।- (बाइस हजार)
- फल्लेखर्क, दोबाटो, उत्तरखेडा, पलगडी सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. १६५००।- (सोह्र हजार पाँच सय)

वडा नं. १२

- लामीजाला, कैनपानी तुलाभाडी हुँदै आमपानी सम्मको सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ३३,०००।- (तेत्तीस हजार)
- लालढुङ्गा वजार मिलखोलादेखि सिद्धाथान मन्दिर न. पा. भवन सम्मको सडकको १०० मिटर दायाँ वायाँ प्रति आना रु. १,३७,५००।- (एक लाख सैंतीस हजार पाँच सय)
- सिद्धाथान मन्दिरदेखि पुन्तुरा सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालय सम्मको सडकको १०० मिटर दायाँ वाँया प्रति आना रु.८२,५००।- (बयासी हजार पाँच सय)
- लालढुङ्गा, मिलखोला देखि मल्लो सडक त्रिवेणी क्याम्पस सम्मको सडकको १०० मिटर दायाँ वाँया प्रति आना रु.८२,५००।-(बयासी हजार पाँच सय)
- सिद्धाथान चौराहादेखि पुन्तुरा घाडी सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ३३,०००।- (तेत्तीस हजार)

**(ख) नगरपालिका अन्तर्गत तपसिल क्षेत्रका जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन दर देहाय बमोजिम हुनेछः-**

१. नगरपालिका अन्तरगत साविक जोगवुडा गा.वि.स. वार्ड नं. १ परशुराम न.पा. लालढुङ्गा बजारको मिल खोलादेखि नदी पश्चिम पुरानो प्रहरी चौकीसम्म सडकको दायाँ बायाँ १०० मिटरभित्र प्रति आना रु. १,३७,५००।- (एकलाख सैंतिस हजार पाँच सय) र पुरानो प्रहरी चौकिदेखि पुन्तुरा सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयसम्मको सडकको दायाँ बायाँ १०० मिटरभित्र प्रति आना रु. ८८,०००।- (अठासी हजार)।

२. नगरपालिका अन्तर्गत साविक शिर्ष गा.वि.स.कटाल बजार क्षेत्र, बहादुरे रजौडा बजार क्षेत्रको सडकको दायाँ बायाँ १०० मिटरभित्र प्रति आना रु. १,३७,५००।- (एकलाख सैंतिस हजार पाँच सय) र कटालदेखि परशुराम सडकको दायाँ बायाँ १०० मिटरभित्र प्रति आना रु. ८२,५००।- (बयासी हजार पाँच सय)।

३. नगरपालिका अन्तर्गत शिर्ष रुपाल सडकको दायाँ बायाँ १०० मिटरसम्म प्रति आना रु. ७५,०००।- (पचहत्तर हजार)।

४. नगरपालिका अन्तर्गत आदर्श चोकदेखि गोजा सडक कटाल बीच सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ७५,०००।- (पचहत्तर हजार)।

५. नगरपालिका अन्तर्गत लटेरोड देखि सलोन कलेना सम्म सडकको दायाँ बायाँ १०० मिटर प्रति आना रु. २८,०००।— (अट्ठाईस हजार)।

६. नगरपालिका अन्तर्गत जोगवुडा सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालय पुन्तुरा खोला पारी देखि लिप्ना सम्म सडकको दायाँ बायाँ १०० मिटरभित्र प्रति आना रु. ७५,०००।- (पचहत्तर हजार)

७. नगरपालिका अन्तर्गत भौनेली सडक देखि सुनखर्क सम्म सडकको दायाँ बायाँ १०० मिटर प्रति आना रु. ३६,०००। (छत्तिस हजार)।

८. नगरपालिका अन्तर्गत चौराहादेखि लटेरोड सुनखर्क सम्म सडकको १०० मिटर दायाँ बायाँ प्रति आना रु. ३६,०००। (छत्तिस हजार) ।

**परशुराम नगरपालिका स्थिति माथि उल्लेखित सडक बाहेकका सडकहरुमा कालोपत्रे सडकको प्रति आना रु. १,३७,५०० (एक लाख सैतीस हजार पाँच सय), ग्राभेल सडकको प्रति आना रु. ५५,०००। (पचपन्न हजार), कच्ची सडकको प्रती आना २२,०००। (बाइस हजार) निर्धारण गरिएको।**

**अनुसूची- ४**

**(दफा २ र दफा ३ सँग सम्बन्धित)**

**<u>सम्पत्तिकर र भूमिकर/मालपोतको मूल्याङ्कन दर प्रति रोपनी</u>**

**नगरपालिकास्थित माथि उल्लेखित मुख्य मुख्य सडक र बजार क्षेत्रभन्दा बाहेक अन्य स्थानको हकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा देहायका जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन दर कायम गरिएको छः-**

**प्रति रोपनी (रु. हजारमा)**

| खेततर्फ | | | | | पाखोतर्फ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| साविक गा.वि.स. | अब्बल | दोयम | सिम | चहार | अब्बल | दोयम | सिम | चहार | बाँझो |
| जोगबुडा १ | १३० | १२० | १०५ | ९५ | ९० | ९० | ८० | ७० | ५० |
| जोगबुडा २ | १०० | ९० | ८० | ७० | ८० | ७० | ५५ | ५० | ४५ |
| जोगबुडा ३ | १३० | १२० | १०५ | १०० | ९० | ९० | ८० | ५० | ५० |
| जोगबुडा ४ | १०० | ९५ | ९० | ५९ | ८० | ७० | ७० | ५५ | ४५ |
| जोगबुडा ५ | ११० | १०५ | १०० | ९५ | ९० | ९० | ८० | ६० | ६० |
| जोगबुडा ६ | ११० | १०० | ९० | ७० | ७५ | ७० | ७० | ५० | ३५ |
| जोगबुडा ७ | १०० | ९५ | ९० | ८० | ८० | ७० | ७० | ५५ | ५० |
| जोगबुडा ८ | १०० | ९५ | ९० | ८० | ८० | ७० | ७० | ५५ | ५० |
| जोगबुडा ९ | १०० | ९५ | ९० | ८० | ८० | ७० | ७० | ५५ | ५० |
| शिर्ष १ | १०० | ९५ | ९० | ८० | ८० | ७० | ७० | ५५ | ५० |
| शिर्ष २ | १०० | ९५ | ९० | ८० | ८० | ७० | ७० | ५५ | ५० |
| शिर्ष ३ | १०० | ९५ | ९० | ८० | ८० | ७० | ७० | ५५ | ५० |
| शिर्ष ४ | १०० | ९५ | ९० | ८० | ८० | ७० | ७० | ५५ | ५० |
| शिर्ष ५ | १०० | ९५ | ९० | ८० | ८० | ७० | ७० | ५५ | ५० |
| शिर्ष ६ | ११० | १०० | ९५ | ९० | १०० | ९५ | ९० | ८० | ५५ |
| शिर्ष ७ | ११० | १०० | ९५ | ९० | १०० | ९५ | ९० | ८० | ५५ |
| शिर्ष ८ | १०५ | १०० | १०० | ९० | ९५ | ९० | ८० | ७० | ५० |
| शिर्ष ९ | ११० | १०० | ९५ | ९० | १०० | ९५ | ९० | ८० | ६० |

**<u>नोट</u>** :- सम्पत्तिकर र भुमिकर/मालपोतकर चालु आ.व. को असोज मसान्तभित्र बुझाएमा १०% छुट, पौष मसान्तसम्म बुझाएमा ५% छुट हुनेछ र दोस्रो वर्ष २०% जरिवाना र थप प्रति वर्ष १०% जरिवाना दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।

## अनुसूची- ५
## (दफा ४ सँग सम्बन्धित)
## घर जग्गा बहाल करको दर

| क्र. सं. | बहाल करका क्षेत्र | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | वहाल कर ( नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिएमा सम्बन्धित धनीबाट वहाल रकमको १० प्रतिशत वहालकर लिने) | १०.००% | |

## अनुसूची- ६
## (दफा ५ सँग सम्बन्धित)
## व्यवसाय करको दर

**नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वार्षिक रुपमा लगाउन सक्ने व्यवसाय करको दर देहाय बमोजिम हुनेछः-**

| क्र. सं. | व्यवसायको प्रकृति | दर (रु.) | कैफियत |
|---|---|---|---|
| **(क) होटल तथा लज** | | | |
| १. | दुई तले र सो भन्दा माथि आवासीय | १,५००/- | |
| २. | होटल एकतले | ६५०/- | |
| ३. | मिठाई पसल | ६५०/- | |
| ४. | चिया तथा कफी | ३५०/- | |
| ५. | भोजनालय, चमेनागृह, मिठाई पसल | ५५०/- | |
| ६. | पानीपुरी चाट, चटपटे पसल | ४००/- | |
| ७. | मोमो हाउस | ४००/- | |
| **(ख) पशुपंक्षी वधशाला तथा माछामासु पसल** | | | |
| १. | काटेको खसीको मासु पसल | ६५०/- | |
| २. | काटेको बङ्गुरको मासु पसल | ६५०/- | |
| ३. | काटेको माछाको मासु पसल | ६५०/- | |
| ४. | काटेको कुखुराको मासु पसल | ६५०/- | |
| ५. | खसी, बोका, कुखुराको मासु, माछा, अण्डाको पसल (मिट मार्ट) | १२००/- | |
| **(ग) सागसब्जी तथा फलफूल** | | | |
| १. | सानो खोका छाप्रा सागसब्जी तथा फलफूल | ३००/- | |
| २. | ठुलो खोका छाप्रा सागसब्जी तथा फलफूल | ६५०/- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३. | तरकारी तथा फलफुलको थोक बिक्रेता | १२००/- | |
| ४. | तरकारी तथा फलफुल खुद्रा बिक्रेता | ६५०/- | |
| ५. | तरकारी मात्र खुद्रा | ३००/- | |
| ६. | फलफुल मात्र खुद्रा | ३००/- | |
| **(घ) स्वास्थ्य सेवा तथा क्लिनिक** | | | |
| १. | औषधि पसल | ६५०/- | |
| २. | एक्सरे पसल | ६५०/- | |
| ३. | चस्मा पसल | ६५०/- | |
| ४. | दाँत बनाउने पसल | ६५०/- | |
| ५. | दन्त क्लिनिक | २५००/- | |
| ६. | एग्रोभेट | ६५०/- | |
| ७. | आयुर्वेदिक पसल | ६५०/- | |
| ८. | पोलिक्लिनिक | ३,०००/- | |
| ९. | क्लिनिक | २५००/- | |
| १०. | अस्पताल प्रा.ली (बार्षिक कर ) | ५०००/- | |
| **(ङ) उद्योग, कारखाना तथा बिक्री कक्ष** | | | |
| १. | कोलु | ५००/- | |
| २. | स:मिल/आरा मिल | ३,५००/- | |
| ३. | बगर खेती प्रति बारी | ५००/- | |
| ४. | पाउरोटी, नमकिन उद्योग | १,५००/- | |
| ५. | फर्निचर उद्योग, काष्ठ तथा स्टील बिक्री | १,५००/- | |
| ६. | फर्निचर बिक्री कक्ष | १,५००/- | |
| ७. | अगरबत्ती तथा मैनबत्ती उद्योग | ७००/- | |
| ८. | होजेरी उद्योग तथा सोसँग सम्बन्धित बिक्री पसल | १,५००/- | |
| ९. | ह्युम पाईप, विद्युत पोल र सिमेन्ट सामग्री उत्पादन | ३,०००/- | |
| १०. | बरफ तथा आईसक्रिम उद्योग | ७००/- | |
| ११. | चाउमिन उद्योग | १,५००/- | |
| १२. | सिरक तथा डसना उद्योग | २,०००/- | |
| १३. | चिउरा तथा भुजा मिल | ६५०/- | |
| १४. | गल्ला तथा खाद्यान्न खरिद बिक्री उद्योग | १,५००/- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १५. | पशुपंक्षी दानाको कच्चा पदार्थ सप्लायर्स | ७००/- | |
| १६. | दाना उद्योग | ७००/- | |
| १७. | कुटानी, पिसानी र पेलानी मिल व्यवसाय र उद्योग | १,३००/- | |
| १८. | मेटल तथा स्टिलबाट विभिन्न औजार, उपकरण, फर्निचर, ग्रिल, सटर, झ्याल ढोका बनाउने उद्योग | ३०००/- | |
| १९. | आल्मुनियमबाट झ्याल ढोका बनाउने उद्योग | २५००/- | |
| २०. | तयारी पोशाक उत्पालन गर्ने (गारमेन्ट उद्योग ) | २०००/- | |
| २१. | कापी, कलम उद्योग | २०००/- | |
| २२. | साबुन, सर्फ, हार्पिक, फिनायल जस्ता सरसफाई सम्बन्धी बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग । | २५००/- | |
| २३. | क्रसर उद्योग इस्क्रिन सहित अस्थायी | १,००,०००/- | |
| २४. | क्रसर उद्योग इस्क्रिन सहित स्थायी | २,००,०००/- | |
| **(च) ईलेक्ट्रोनिक, मोबाइल, कम्प्युटर, रेडियो, घडी, टि.भी. पसल** | | | |
| १. | टि.भी. तथा फ्रिज समेतको डिलर पसल | २,०००/- | |
| २. | रेडियो तथा घडी मर्मत पसल | ४००/- | |
| ३. | रेडियो तथा घडी बिक्रि गर्ने | ६००/- | |
| ४. | ईलेक्ट्रोनिक्स सामान बिक्री पसल ( ए.सी, वासिङ मेसिन, कम्प्युटर, फ्रिज टि.भिका साथै अन्य ईलेक्ट्रोनिक्स सामान विक्री गर्ने ) | १०००/- | |
| ५. | ईलेक्ट्रोनिक्स र ईलेक्ट्रीकल सामान मर्मत पसल मात्र | १,२००/- | |
| ६. | कम्प्यूटर तथा फोटोकपी मेसिन तथा सामान बिक्रि पसल | १,५००/- | |
| ७. | डबिङ फोटोकपी पसल | ६५०/- | |
| ८. | डि.भी., डेग, रेडियो तथा घडी मर्मत पसल वार्षिक | ६००/- | |
| ९. | डि.भी., डेग, रेडियो तथा घडी मर्मत पसल पसल अनुमती | ७००/- | |
| १०. | कलर ल्याव (क) श्रेणी | १,५००/- | |
| ११. | फोटो स्टुडियो | ७००/- | |
| १२. | भिडियो क्यामरा र फोटो स्टुडियो | १,५००/- | |
| १३. | फोटोकपी तथा मर्मत पसल | ३००/- | |
| १४. | कम्प्यूटर बिक्री तथा पार्टस पसल | १,५००/- | |
| १५. | कम्प्यूटर इन्स्च्युट | १,०००/- | |
| १६. | भिडियो सिडी पसल | ४००/- | |
| १७. | विजुलीका सामान, सोलार, ब्याट्री डिलर पसल | ३,०००/- | |
| १८. | बिजुलीका सामान तथा सोलार ब्याट्री विक्री गर्ने पसल | १२००/- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १९. | मोवाइल मर्मत, बिक्री /सिमकार्ड | १,०००/- | |
| २०. | सिमकार्ड बिक्री पसल | ५००/- | |
| २१. | मोवाइल मर्मत | ५००/- | |
| २२. | मोबाईल डिलर | २५००/- | |
| २३. | मोवाईल ग्यालरी, मोबाईल बिक्रि र मर्मत | १०००/- | |
| २४. | केबुल व्यवसाय | १,५००/- | |
| २५. | इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था | १,५००/- | |
| **(छ) निर्माण सामग्री सम्बन्धी** | | | |
| १. | छड, सिमेन्ट, कर्कट पाता प्रति वस्तु डिलर वार्षिक | १,५००/- | |
| २. | सटरिङ सेवा व्यवसाय | ५००/- | |
| ३. | भाँडा पसल (हार्डवेयर) | १,०००/- | |
| ४. | हार्डवेयर तथा निर्माण सामग्री पसल | १,५००/- | |
| ५. | मार्वल पसल | १,५००/- | |
| ६. | सटरिङ सुटिङ पसल | ६५०/- | |
| **(ज) गरगहना पसल** | | | |
| १. | सुन, चाँदी गहना पसल थोक बिक्रेता | १,५००/- | |
| २. | सुन, चाँदीका गहना बनाउने खुद्रा तथा साना पसल | ६५०/- | |
| **(झ) विज्ञापन, परामर्श तथा अन्य सेवा** | | | |
| १. | ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा | ३,५००/- | |
| २. | घर नक्सा बनाउने कन्सल्टेन्सी सेवा | ३,५००/- | |
| ३. | विज्ञापन एजेन्सी व्यवसाय | ७००/- | |
| ४. | लेखापरीक्षक "क" र "ख" वर्ग | १,०००/- | |
| ५. | लेखापरीक्षक "ग" र "घ" वर्ग | ७००/- | |
| ६. | ज्योतिष विद्या तथा सेवा | ७००/- | |
| ७. | वीमा एजेन्ट | ५००/- | |
| ८. | कानुन व्यवसायी तथा ल फर्म | ७००/- | |
| ९. | लेखापढी व्यवसाय | ५००/- | |
| १०. | वैदेशिक रोजगार सेवा | १,०००/- | |
| ११. | सेक्युरिटी गार्ड प्रदान | १,०००/- | |
| **(ञ) एजेन्सी तथा थोक बिक्री पसल** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | मोटरसाईकल डिलर | ५०००/- | |
| २. | टेक्टर, टेम्पो प्रति डिलर | ५०००/- | |
| ३. | पम्पिङ सेट, जेनेरेटर प्रति डिलर | ५०००/- | |
| ४. | बाहिरबाट आई गोदाम राखी बिक्री गर्ने | १०,०००/- | |
| **(ट) मट्टितेल, डिजल, पेट्रोल पम्प** | | | |
| १. | मट्टितेल, डिजल, पेट्रोल पम्प संयुक्त | ५,०००/- | |
| २. | डिजल पम्प मात्र | ४,०००/- | |
| **(ठ) एफ. एम. रेडियो व्यवसाय** | | | |
| १. | एफ. एम. रेडियो व्यवसाय सञ्चालन अनुमति | ३५,०००/- | |
| २. | एफ. एम. रेडियो व्यवसाय कर तथा नवीकरण (वार्षिक) | ३,०००/- | |
| **(ड) मदिरा व्यवसाय** | | | |
| १. | मदिरा डिलर बार्षिक | ४००००/- | |
| २. | बिर्को खोली बेच्ने मदिरा पसल बार्षिक | १००००/- | |
| **(ढ) उर्जामुलक उद्योग** | | | |
| १. | ईलेक्ट्रिक सवारी साधन चारजिङ स्टेशन बार्षिक | ३०००/- | |
| **(ण) विविध व्यबसाय** | | | |
| १. | किराना तथा खुद्रा पसल ठूला (वार्षिक १० लाख भन्दा माथि) | ७५०/- | |
| २. | किराना तथा खुद्रा पसल मझौला (वार्षिक ५ देखि १० लाख सम्म) | ५००/- | |
| ३. | किराना तथा खुद्रा पसल सानो तथा खोका (वार्षिक ५ लाख सम्म) | ३००/- | |
| ४. | ग्यास सिलिन्डर थोक बिक्रेता | १५००/- | |
| ५. | ग्यास सिलिन्डर बिक्रेता पसल | ६५०/- | |
| ६. | कोक तथा पेप्सी डिलर | २,०००/- | |
| ७. | बिभिन्न सामान सप्लायर्स | ६५०/- | |
| ८. | साईकल बिक्री तथा पाटपूर्जा | ६५०/- | |
| ९. | साईकल मर्मत | ३००/- | |
| १०. | जुत्ता, चप्पल बिक्री पसल | १,०००/- | |
| ११. | कस्मेटिक श्रृंगार सामान पसल | १,०००/- | |
| १२. | टेण्ड हाउस | १,०००/- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १३. | बेण्ड बाजा/डिजी साउण्ड | ७००/- | |
| १४. | छापाखाना | १,५००/- | |
| १५. | पुस्तक पसल | ६५०/- | |
| १६. | ट्रान्सपोर्ट ढुवानी सेवा | ६५०/- | |
| १७. | फेन्सी विविध पसल | १,०००/- | |
| १८. | फेन्सी कपडा पसल | १,०००/- | |
| १९. | सिसा प्लाईउड तथा सनमाईकाजन्य पसल | १,५००/- | |
| २०. | खेलौना सजावट पसल | ५००/- | |
| २१. | पेन्टिङ आर्ट पसल | ७००/- | |
| २२. | गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुरापालन लगायत कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म | ६००/- | |
| २३. | मौरीपालन फर्म वा व्यवसाय | २००/- | |
| २४. | बसको टिकट काउण्टर | १,५००/- | |
| २५. | सवारीचालक तालीम सेन्टर | १,०००/- | |
| २६. | पुल हाउस पसल | ५००/- | |
| २७. | ज्यावल, आईरन रासी काँसा, तामा, पित्तल मात्र बनाई व्यवसाय गर्ने | ६५०/- | |
| २८. | सिलाई पसल | ६५०/- | |
| २९. | सिलाई मेसिन मर्मत पसल | ३५०/- | |
| ३०. | कपाल काट्ने पसल | ५००/- | |
| ३१. | ब्यूटी पार्लर | ६५०/- | |
| ३२. | अटो मोटर पार्टस बिक्री तथा मर्मत | १,०००/- | |
| ३३. | बस, जिप तथा टेक्टर मर्मत पसल | १,०००/- | |
| ३४. | मोटरसाईकल मर्मत तथा पार्टस बिक्री | १,०००/- | |
| ३५. | फलफुल तथा नर्सरी व्यवसाय | ५००/- | |
| ३६. | स्वदेशी तथा विदेशी भाषा प्रशिक्षण केन्द्र | १,२५०/- | |
| ३७. | होटल तालीम सेन्टर | १,२५०/- | |
| ३८. | प्लाष्टिक भाँडा वर्तन | १,०००/- | |
| ३९. | पेन्टर्स तथा रङ्गरोगन पसल | १,०००/- | |
| ४०. | गिफ्ट तथा उपहार बिक्री पसल | ५००/- | |
| ४१. | सुर्तिजन्य व्यवसाय | १,५००/- | |
| ४२. | धर्मकाटा व्यवसाय | १,०००/- | |
| ४३. | डेरीका सामान बिक्री गर्ने पसल | ७००/- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४४. | दुध, दही, घ्यू, पनिर बिक्री पसल | ५५०/- | |
| ४५. | ब्यापार ब्यवसायमा ५ लाख सम्म | ७००/- | |
| ४६. | ब्यापार ब्यवसायमा २० लाख सम्म | १,२००/- | |
| ४७. | ब्यापार ब्यवसायमा २० लाख भन्दा बढी | २,०००/- | |

**नोटः- राजश्व चुक्ता गर्नुपर्ने ब्यबसायीले असोज मसान्तभित्र राजश्व नतिरेमा १०% जरिवाना लाग्नेछ।**

## अनुसूची - ७

## (दफा ६ सँग सम्बन्धित)

## मदिराजन्य सेवा, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना

| क्र.सं. | मदिरा सम्बन्धी शुल्क जरिवाना र अन्य प्रावधान | दर (रु.) | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | नयाँ डिलर खोल्ने अनुमति तथा सिफारिस | १,६०,०००/- | |
| २. | नयाँ बिर्को खोली बेच्ने पसल इजाजत अनुमति तथा सिफारिस | ६०,०००/- | |
| **(क) जरिवाना** | | | |
| १. | डिलरले नगरपालिकाबाट ईजाजत नलिई नगरमा प्रवेश गरेमा पहिलो पटकका लागि | २५,०००/- देखि १,००,०००/- | |
| २. | दोश्रो पटकका लागि | ५०,०००/- देखि १,५०,०००/- | |
| ३. | तेश्रो पटकका लागि | १,००,०००/- देखि २,००,०००/- | |
| **(ख) अवैध रुपमा मदिरा बेचविखन गरेमा** | | | |
| १. | पहिलो पटकका लागि | ५,०००/- | |
| २. | दोश्रो पटकका लागि | १०,०००/- | |
| ३. | तेश्रो पटकका लागि | २०,०००/- | |

**नोटः- मदिरा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था परशुराम नगरपालिकाको मदिरा सेवन तथा उत्पादन नियन्त्रण ऐन, २०७६ बमोजिम हुनेछ।**

**अनुसूची - ८**

**(दफा ७ सँग सम्बन्धित)**

**जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर**

| क्र.सं. | जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु निकासी पैठारी कर | दर (रु.) | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | सिस्नुको जरा र गानो | प्रति के.जि रु.२/- | |
| २. | छतिवनको बोक्रा | प्रति के.जि रु.१०/- | |
| ३. | निमको बोक्रा | प्रति के.जि रु. ५/- | |
| ४. | बकाइनोको बोक्रा | प्रति के.जि रु. २/- | |
| ५. | सल्लाको बोक्रा | प्रति के.जि रु. २/- | |
| ६. | तितेपातीको पात/डाँठ | प्रति के.जि रु. १/- | |
| ७. | गुर्जोलहराको पात/डाँठ | प्रति के.जि रु. २/- | |
| ८. | सिस्नुको पात/डाँठ | प्रति के.जि रु. १/- | |
| ९. | कोईरालोको फुल र भुवा | प्रति के.जि रु. १/- | |
| १०. | गुरासको फुल र भुवा | प्रति के.जि रु. २/- | |
| ११. | सिमलको फूल | प्रति के.जि रु. ३/- | |
| १२. | ओखरको फल | प्रति के.जि रु. १०/- | |
| १३. | अमलाको फल | प्रति के.जि रु. २/- | |
| १४. | चिउरी फल र बिज | प्रति के.जि रु. ३/- | |
| १५. | जामुन फल र बिज | प्रति के.जि रु. १/- | |
| १६. | बेल फल | प्रति के.जि रु. २/- | |
| १७. | भलायो फल | प्रति के.जि रु. २/- | |
| १८. | हर्रो | प्रति के.जि रु. २/- | |
| १९. | तितेपातीको विरुवा | प्रति के.जि रु. १/- | |
| २०. | पुदिना विरुवा | प्रति के.जि रु. २/- | |
| २१. | सल्लाको खोटो | प्रति के.जि रु. १२/- | |
| २२. | सिसा, फलाम, जाली, कवाडी कर प्रति ट्रिप(ट्याक्टरको ) | १,२००/- | |
| २३. | सिसा, फलाम, जाली, कवाडी कर प्रति ट्रिप ( मिनि ट्रकको ) | १५००/- | |
| २४. | सिसा, फलाम, जाली, कवाडी कर प्रति ट्रिप ( ट्रक / टिप्परको ) | २०००/- | |
| २५. | गाई साँढे (प्रति गोटा) | ५०/- | |
| २६. | राँगा भैंसी (प्रति गोटा) | ५००/- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| २७. | खसी, बाखा, भेंडा (प्रति गोटा) | २०/- | |
| २८. | कुखुरा, अण्डा (प्रति गोटा) | १/- | |

**अनुसूची- ९**

**(दफा ८ सँग सम्बन्धित)**

**वन पैदावारको बिक्री शुल्क**

| क्र.सं. | वन पैदावारको विक्री शुल्क | दर (रु.) | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | सामुदायिक वनले वनपैदावार बिक्रि बाफत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत | १०% | |
| २. | निकासी हुने साल काठबाट प्रति क्यू. फिट | ५०/– | |
| ३. | नगरपालिकाभित्र ब्यापार साल काठबाट प्रति क्यू.फिट | ३०/– | |
| ४. | निकासी हुने कुकाठ (सल्लो,खयर) बाट प्रति क्यू.फिट | ३०/– | |
| ५. | नगरपालिकाभित्र कुकाठ (सल्लो,खयर) बाट प्रति क्यू. फिट | १५/– | |
| ६. | काठ दाउरा (दहत्तर बहत्तर) प्रति किलो | २/– | |
| ७. | निङला बाँस (प्रति गोटा) | ३/– | |

**अनुसूची- १०**

**(दफा ९ सँग सम्बन्धित)**

**विज्ञापन करको दर**

| क्र.सं. | होडिङ बोर्डको वार्षिक दस्तुर प्रति स्क्वायर फिट | दर (रु.) | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | १२ स्क्वायर फिटसम्म | २५/- | |
| २. | २४ स्क्वायर फिटसम्म | २५/- | |
| ३. | २४ स्क्वायर फिटभन्दा माथि | ३०/- | |
| ४. | भित्ते लेखन प्रति स्क्वायर फिट | १८/- | |
| **क्र.सं.** | **१२ स्क्वायर फिटसम्म प्रति व्यानर** | **दर (रु)** | **कैफियत** |
| १. | फ्ल्याष्क बोर्ड व्यानर व्यवसाय १२ स्क्वायर फिटसम्म पसल बाहिरको वार्षिक | २२५/- | |
| २. | फ्ल्याष्क बोर्ड व्यानर व्यवसाय १२ स्क्वायर फिट भन्दा माथि पसल बाहिरको वार्षिक | २२५/- | |
| ३. | बढीमा ६ स्क्वायर फिट सम्मको पोलमा राख्ने प्रति बोर्ड | ११५/- | |
| ४. | सामान्य व्यानर तथा पोल व्यानर दस्तुर नगरपालिकाबाट तोके बमोजिम हुनेछ । | २५ प्रति पिस | |

**नोट:- नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट जारी जनचेतनामूलक पोष्टर, व्यानर र पम्पलेट, होडिङ्ग बोर्डमा विज्ञापन कर लाग्ने छैन।**

## अनुसूची- ११
### (दफा १० सँग सम्बन्धित)
### मनोरञ्जन करको दर

१. परशुराम नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने मनोरञ्जनकरको दर प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

**(क)मनोरञ्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायलाई लाग्ने कर**

| क्र.सं. | शिर्षक | करकोदर |
|---|---|---|
| १ | चलचित्र प्रदर्शन गर्दा प्रति टिकट मूल्यको | ३% |
| २ | साँस्कृतिक प्रदर्शन हल, थिएटर,नाटकघर, फन पार्क, वाटर गार्डेन, उद्यान, फुटसल, स्वीमिङ्ग पुल (बार्षिक रु.) | रु.५०००/- |
| ३ | बोटिङ्ग, र्याफ्टिङ (बार्षिक रु.) | रु. ५०००/- |

**(ख)मनोरञ्जन कार्यक्रम आयोजना गरेवापत लाग्ने कर**

| शिर्षक | विवरण | करकोदर |
|---|---|---|
| सर्कस, खेल, महोत्सव, मेला, जादु, चटके | १ दिन सम्मको | ३०००/- |
| | ३ दिन सम्मको | ६०००/- |
| | ५ दिन सम्मको | ९०००/- |
| | ७ दिन सम्मको | ११०००/- |
| | ८ देखि १५ दिन सम्मको | १५०००/- |
| | १६ देखि ३० दिन सम्मको | २००००/- |

## अनुसूची- १२
### (दफा ११ सँग सम्बन्धित)
### सवारीसाधन कर

| (क) सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरण शुल्क (तीन पाङ्ग्रे ठेला गाडा, विद्युतीय रिक्सा, अटो, टेम्पो) | | | |
|---|---|---|---|
| १. | ३६ औं दिन देखि जरिवाना दस्तुर | रु.१००/- देखि रु ५००/- सम्म | |
| २. | निवेदन दस्तुर | १००/- | |
| ३. | ई रिक्सा र अटो रिक्सा रुट इजाजत दस्तुर | ७५०/- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४. | ई रिक्सा सवारी दर्ता दस्तुर प्रती सवारी | १,५००/- | |
| ५. | अटो रिक्सा पेट्रेलले चल्ने सवारी दर्ता दस्तुर प्रती सवारी | २०००/- | |
| ६. | ई रिक्सा सवारी दर्ता बार्षिक कर | ३०००/- | |
| ७. | अटो रिक्सा सवारी दर्ता बार्षिक कर | ३४००/- | |
| ८. | सवारी दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी दस्तुर | ५००/- | |
| ९. | नविकरण निवेदन दस्तुर | ५०/- | |
| १०. | ई रिक्सा नविकरण दस्तुर | ५००/- | |
| ११. | अटो रिक्सा नविकरण दस्तुर | ५००/- | |
| १२. | ठाँउसारी भई आउन वा अन्यत्र जान सहमती दिन | ५००/- | |
| १३. | ई रिक्सा नामसारी दस्तुर | ६००/- | |
| १४. | अटो रिक्सा नामसारी दस्तुर | १०००/- | |
| १५. | निजि सवारी साधन लाई भाडाको सवारी साधनमा परिवर्तन दस्तुर | १०००/- | |
| १६. | भाडाको सवारी साधन लाई निजि सवारी साधनमा परिवर्तन दस्तुर | १०००/- | |
| १७. | ई रिक्सा जाँचपास दस्तुर | १५०/- | |
| १८. | अटो रिक्सा जाँचपास दस्तुर | २५०/- | |
| १९. | पट्के ईजाजत दस्तुर प्रति कि.मि | २/- | |
| २०. | दण्ड जरिवाना (सवारी चालकले ऐन विपरित कार्य गरेमा -पहिलो पटक गर्ने लाई) | ३००/- | |
| २१. | दण्ड जरिवाना ( सवारी चालकले ऐन विपरित कार्य गरेमा -दोस्रो पटक गर्ने लाई) | ५००/- | |
| २२. | दण्ड जरिवाना ( सवारी चालकले ऐन विपरित कार्य गरेमा -तेस्रो पटक गर्ने लाई | १०००/- | |
| २३. | दण्ड जरिवाना ( सवारी चालकले ऐन विपरित कार्य गरेमा -पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पटक भन्दा बढी पटक गरेमा | १५००/- | |
| २४. | सवारी दर्ताको किसिम — (१) भाडाका सवारी साधनको दर्ता नं. प.न.पा ०१ ह ०००१, प.न.पा ०१ ह ०००२, देखी............ सम्म र कालो प्लेट हुनेछ ।<br>(२) निजि सवारी साधनको दर्ता नं. प.न.पा ०१ स ०००१, प.न.पा ०१ स ०००२, देखि.............सम्म र रातो प्लेट हुनेछ । | | |
| २५. | म्याद समाप्त भएको मितिले ३ महिना भित्र नविकरण गर्न आएमा जरिवाना दस्तुर नलाग्ने र ३ महिना पछी १० प्रतिशत (म्याद समाप्त भएको मितिले १ बर्ष भित्र ) र त्यस पश्चात ३० प्रतिशत थप जरिवाना लिई नविकरण गर्नु पर्ने छ । | | |

## अनुसूची- १३
### (दफा १२ सँग सम्बन्धित)
### बहाल बिटौरी शुल्क

| (ऐलानी वा प्रति जग्गामा बनेको संरचनाको हकमा वहाल विटोरी शुल्क) | | | |
|---|---|---|---|
| १. | कच्ची घरको वार्षिक | रु. ५०/- | |
| २. | अर्धपक्की घरको वार्षिक | रु. १००/- | |
| ३. | पक्की एक तले घरको वार्षिक | रु. १५०/- | |
| ४. | पक्की थप प्रति तला वार्षिक | रु. २५/- | |

**बहाल बिटौरी शुल्क**

| **क.सं.** | **शिर्षक** | **शुल्क** |
|---|---|---|
| १. | हाटबजार शुल्क | २००/- |
| २. | बरफ तथा आईसक्रिम बिक्रेता ठेला तथा अटो लाई प्रति दिन | ३०/- |

## अनुसूची- १४
### (दफा १३ सँग सम्बन्धित)
### पर्यटन शुल्क

| **(ट) सांस्कृतिक पर्यटकिय क्षेत्र परशुरामधाममा लाग्ने शुल्क** | | | |
|---|---|---|---|
| **क.सं** | **विवरण** | **दर (रु.)** | **कैफियत** |
| १. | विवाह | १०००/- | |
| २. | ब्रतबन्ध | ५००/- | |
| ३. | अतिथि गृह सानो कोठा (प्रतिदिन) | ५००/- | |
| ४. | अतिथि गृह ठूलो कोठा (प्रतिदिन) | १०००/- | |
| ५. | भिडियो छायाङ्कन ( म्युजिक भिडियो, डकुमेन्ट्री ) प्रतिदिन | ५००/- | |
| ६. | नेपाली चलचित्र छायाङ्कन (प्रतिदिन) | १०००/- | |

## अनुसूची - १५
## (दफा १४ सँग सम्बन्धित)
## सेवा शुल्क दस्तुर

| क्र. सं. | सेवा शुल्क दस्तुर | दर (रु.) | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र/प्रतिलिपीको लागि सिफारिस | १००/- | |
| २. | जन्म मिति प्रमाणित/मृत्यु प्रमाणित | १००/- | |
| ३. | अविवाहित प्रमाणित | १००/- | |
| ४. | नावालक सिफारिस | १००/- | |
| ५. | अंग्रेजीमा गरिने सामान्य सिफारिस/प्रमाणित | ३००/- | |
| ६. | अंग्रेजीमा गरिने पारिवारिक विवरण तथा नाता कायम | ५५०/- | |
| ७. | नाता प्रमाणित | २५०/- | |
| ८. | पारिवारिक विवरण/अंशियार प्रमाणित | २५०/- | |
| ९. | बसोबास प्रमाणित | १७०/- | |
| १०. | सगोलमा भएको प्रमाणित | १७०/- | |
| ११. | बैबाहिक सम्बन्ध प्रमाणित | २५०/- | |
| १२. | व्यक्तिगत घटना दर्ता जरिवाना तथा प्रतिलिपि | ५००/- | |
| १३. | चारित्रिक प्रमाणित सर्जमिनसहित | ३५०/- | |
| १४. | चारकिल्ला प्रमाणित | २५०/- | |
| १५. | मरुवा सरुवा नामसारी अंशबण्डा सिफारिस | २५०/- | |
| १६. | बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सिफारिस | १,५००/- | |
| १७. | अंगीकृत नागरिकता सिफारिस | २,०००/- | |
| १८. | खानेपानी जडान, नामसारी, ठाउँसारी | २५०/- | |
| १९. | विद्युत जडान (संस्थागत) | ६५०/- | |
| २०. | विद्युत जडान, नामसारी, ठाउँसारी (ब्यक्तिगत) | ३००/- | |
| २१. | विद्युत जडान, नामसारी, ठाउँसारी साना उद्योग | ६६०/- | |
| २२. | विद्युत जडान, नामसारी, ठाउँसारी मझौला उद्योग | ७७०/- | |
| २३. | विद्युत जडान, नामसारी, ठाउँसारी ठूला उद्योग | १२५०/- | |
| २४. | कुकाठ कटान सिफारिस | १,०००/- | |
| २५. | घरेलु उद्योग सर्जिमिन सहित | ५००/- | |
| २६. | ब्यबसाय दर्ता तथा सञ्चालन सिफारिस | ५००/- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| २७. | ब्यबसाय बन्द गरिएको सिफारिस | १७०/- | |
| २८. | ब्यबसाय नाम परिवर्तन सिफारिस | २००/- | |
| २९. | सर्जिमिन दस्तुर/सर्जमिन मुचुल्का | ३५०/- | |
| ३०. | टेलिफोन नामसारी | २००/- | |
| ३१. | सञ्चार सम्बन्धी सिफारिस | २००/- | |
| ३२. | घरजग्गा नामसारी | २००/- | |
| ३३. | घर तथा बाटो प्रमाणित | २५०/- | |
| ३४. | घर तथा बाटो नभएको राजिनामा | २५०/- | |
| ३५. | घर तथा बाटो भएको राजिनामा (भित्री खेत) | २००/- | |
| ३६. | घर तथा बाटो नभएको राजिनामा (भित्री खेत) | २००/- | |
| ३७. | घर तथा बाटो भएको (अंशबण्डा र बकस) | २५०/- | |
| ३८. | घर तथा बाटो नभएको (अंशबण्डा र बकस) | २००/- | |
| ३९. | सामान्य सिफारिस दस्तुर | २००/- | |
| ४०. | कर समायोजन सिफारिस | २००/- | |
| ४१. | कबडहल मासिक सेवा शुल्क ( प्रति व्याक्ती ) | ५००/- | |
| ४२. | सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति कार्ययोजना स्वीकृत दस्तुर | १०००/- | |
| ४३. | सूची दर्ता दस्तुर (बार्षिक) | ५००/- | |
| ४४. | सरकारी कार्यालय बाहेक अन्य सबै निकाय/कार्यालय/संघ संस्थाले नगरकार्यपालिकाको कार्यालयको बैठकहल प्रयोग गरे बापत (प्रत्येक पटकका लागि) | २०००/- | |
| ४५. | सरकारी कार्यालय बाहेक अन्य सबै निकाय/कार्यालय/संघ संस्थाले वडा कार्यालयहरुका बैठकहल प्रयोग गरे बापत (प्रत्येक पटकका लागि) | ५००/- | |
| ४६. | स्टक प्रमाणित गरेको प्रति घन मिटर | ५०/- | |
| **(विभिन्न प्रयोजनको लागि घर जग्गा, अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन तथा आम्दानी प्रमाणित)** | | | |
| ४८. | रु. १० लाख सम्म प्रमाणित | १,२५०/- | |
| ४९. | रु. १० लाख देखि २५ लाख सम्म | १५,००/- | |
| ५०. | रु. २५ लाख देखि ५० लाख सम्म | २,५००/- | |
| ५१. | रु. ५० लाख देखि ७५ लाख सम्म | ३,०००/- | |
| ५२. | रु. ७५ लाख देखि १ करोड सम्म | ३,५००/- | |
| ५३. | रु. १ करोड देखि १ करोड ५० लाख सम्म | ४,५००/- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ५४. | रु. १ करोड ५० लाख देखि २ करोड सम्म | ५,०००/- | |
| ५५. | रु. २ करोड देखि २ करोड ५० लाख सम्म | ६,०००/- | |
| ५६. | रु. २ करोड ५० लाख देखि ३ करोड सम्म | ६,५००/- | |
| ५७. | रु. ३ करोड देखि ४ करोड सम्म | ९,५००/- | |
| ५८. | रु. ४ करोड देखि ५ करोड सम्म | १०,५००/- | |
| ५९. | रु. ५ करोड भन्दा माथि | १५०००/- | |
| **(क)** | **शैक्षिक संस्था तर्फ** | | |
| १. | निजीस्तरका शैक्षिक संस्था आवेदन दस्तुर | १,०००/- | |
| २. | निजीस्तरका शैक्षिक संस्था खोल्ने आधारभूत तह | २०,०००/- | |
| ३. | निजीस्तरका शैक्षिक संस्था खोल्ने मा. वि. तह | ३०,०००/- | |
| ४. | निजी प्रा. वि. तह वार्षिक दस्तुर | १,०००/- | |
| ५. | निजी नि.मा. वि. तह वार्षिक दस्तुर | २,०००/- | |
| ६. | निजी मा.वि. तह वार्षिक दस्तुर | २,५००/- | |
| ७. | प्रति कक्षा थपका लागि आधारभूत तह ( निजि/सामुदायिक शैक्षिक संस्था ) | १,०००/- | |
| ८. | प्रति कक्षा थपका लागि मा. वि. तह ( निजि/सामुदायिक शैक्षिक संस्था ) | १,०००/- | |
| ९. | नगरस्तरीय लव्धाङ्कपत्र (मार्कसिट) प्रतिलिपि दस्तुर | २००/- | |
| १०. | आधारभूत तहका नगर शिक्षक, राहत, करार र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, बालबिकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, शिक्षण सिकाइ अनुदान, नियुक्ति म्याद थप तथा समर्थन | १५०/- | |
| ११. | माध्यमिक तहको अस्थायी तथा करार शिक्षक, नगर शिक्षक, शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी,नियुक्ति म्याद थप तथा समर्थन | २००/- | |
| १२. | आधारभूत तहका स्थायी शिक्षकको सरुवा सहमति | १०००/- | |
| १३. | माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षकको सरुवा सहमति | १५००/- | |
| १४. | कक्षा आठको मार्कसिट प्रतिलिपि | ३५०/- | |
| १५. | नगरस्तरिय परिक्षाको नतिजाको पुनर्योग | २००/- | |
| १६. | खेलकुद टिमदर्ता दस्तुर | १०००/- | |
| **ख)** | **न्यायिक समिति तर्फ** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | न्यायिक समिति निवेदन दस्तुर | २००/- | |
| २. | न्यायिक समिति प्रतिउत्तरपत्र दस्तुर | २००/- | |
| **ग) फर्म/समूह/सञ्जाल/समिति/संस्था तर्फ** | | | |
| १. | कृषक, पशुपंक्षीपालन फर्म दर्ता शुल्क | ५००/- | |
| २. | कृषक, पशुपंक्षीपालन फर्म नवीकरण दस्तुर | ३००/- | |
| ३. | कृषक, पशुपंक्षीपालन समूह दर्ता शुल्क | ३५०/- | |
| ४. | कृषक, पशुपंक्षीपालन समूह नवीकरण दस्तुर | ३००/- | |
| ५. | मल तथा खाद्य वितरण इजाजत प्रमाणपत्र दस्तुर | २००/- | |
| ६. | मल तथा खाद्य वितरण इजाजत प्रमाणपत्र नवीकरण दस्तुर | १५०/- | |
| ७. | आमा समूह तथा अन्य समूह ,सञ्जाल, समिति, दर्ता तथा नवीकरण | २००/- | |
| ८. | सार्वजनिक मठ, मन्दिर, गुम्वा, मस्जिद, पाटी–पौवा र चर्च | १२५/- | |
| ९. | गैर सरकारी संस्था, सहकारी, क्लव सिफारिस | ५००/- | |
| १०. | सहकारी संस्था दर्ता शुल्क | १,५००/- | |
| ११. | लेखापरीक्षण प्रतिवेदन असोज मसान्त र साधारण सभाको प्रतिवेदन पुस मसान्त सम्ममा नबुझाउने सहकारीलाई प्रतिमहिना विलम्व शुल्क | ५०/- | |
| **(घ)** | **निर्माण व्यवसायी तर्फ** | | |
| १. | "घ" वर्ग ईजाजतपत्र नविकरण दस्तुर असोज महिना सम्म | ५०००/- | |
| २. | "घ" वर्ग ईजाजतपत्र नविकरण दस्तुर असोज महिना पछि | ७०००/- | |
| ३. | "घ" वर्गको ईजाजतपत्र दर्ता दस्तुर | ४००००/- | |
| ४. | "घ" वर्गको ईजाजतपत्र नमासारी दस्तुर | ७०००/- | |
| ५. | "घ" वर्गको ईजाजतपत्र प्रतिलिपि दस्तुर | ३०००/- | |
| **(ङ) संस्थाको वार्षिक शुल्क** | | | |
| १. | वाणिज्य बैंक "क" वर्ग | ८,०००/- | |
| २. | विकास बैंक "ख" वर्ग | ६,०००/- | |
| ३. | वित्त कम्पनी "ग" वर्ग | ४,०००/- | |
| ४. | सहकारी बैंक | २,५००/- | |
| ५. | लघु वित्त तथा वित्तीय संस्था | ६,०००/- | |
| ६. | आ.एन. जि. ओ. वार्षिक (अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था) | ५,०००/- | |
| ७. | एन. जि. ओ. वार्षिक | ४,०००/- | |
| ८. | व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालय | १,५००/- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ९. | सहकारी संस्था बार्षिक शुल्क | २५००/- | |
| १०. | बिमा कम्पनी बार्षिक शुल्क | ४०००/- | |
| ११. | आई.एम.इ संस्थाहरुको बार्षिक शुल्क | ४०००/- | |
| **(च) सम्झौता सिफारिस बमोजिम नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन भएका योजना** | | | |
| १. | रु. १ लाख सम्मका योजना | १००/- | |
| २. | रु. १ लाख देखि ५ लाख सम्मका योजना | २००/- | |
| ३. | रु. ५ लाख देखि १० लाख सम्मका योजना | ३००/- | |
| ४. | रु. १० लाख देखि २० लाख सम्मका योजना | ४००/- | |
| ५. | रु. २० लाख माथिका योजना | ५००/- | |
| **(छ) सम्झौता सिफारिस बमोजिम संघीय र प्रदेश कार्यालयबाट कार्यान्वयन भएका योजना** | | | |
| १. | रु.१ लाख सम्मका योजना | १००/- | |
| २. | रु. १ लाख देखि ५ लाख सम्मका योजना | २५०/- | |
| ३. | रु. ५ लाख देखि १० लाख सम्मका योजना | ३५०/- | |
| ४. | रु. १० लाख देखि २० लाख सम्मका योजना | ५००/- | |
| ५. | रु. २० लाख माथिका योजना | ६५०/- | |
| **(ज) योजनाको निर्माण सम्पन्न भई भुक्तानी सिफारिस (नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन भएका बाहेक संघीय र प्रदेश सरकारका कार्यालयबाट कार्यान्वयन भएका योजना)** | | | |
| १. | निर्माण सम्पन्न योजना रु. १ लाख सम्म | २००/- | |
| २. | निर्माण सम्पन्न योजना रु. ३ लाख सम्म | ५००/- | |
| ३. | निर्माण सम्पन्न योजना रु. ५ लाख सम्म | १,०००/- | |
| ४. | निर्माण सम्पन्न योजना रु. १० लाख सम्म | १,५००/- | |
| ५. | निर्माण सम्पन्न योजना रु. २० लाख सम्म | २,५००/- | |
| ६. | निर्माण सम्पन्न योजना रु. ३० लाख सम्म | ३,०००/- | |
| ७. | निर्माण सम्पन्न योजना रु. ५० लाख सम्म | ३,५००/- | |
| ८. | निर्माण सम्पन्न योजना रु. १ करोड सम्म | ५,०००/- | |
| ९. | निर्माण सम्पन्न योजना रु. ५ करोड सम्म | ६,०००/- | |
| १०. | निर्माण सम्पन्न योजना रु. ५ करोड भन्दा माथि | ८,०००/- | |
| **(झ) घर नक्सा पास दस्तुर** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | बुडर-दैजी सडक खण्ड र जोगबुडा परशुरामधाम सँग जोडिएका बजार आसपास ५०० मिटर सम्मका घर प्रति वर्ग फिट – फ्रेम स्ट्रक्चरको हकमा | ३/- | |
| २. | बाँकी बजार क्षेत्रको ग्रामीण क्षेत्र प्रति वर्ग फिट- फ्रेम स्ट्रक्चरको हकमा | २.७५/- | |
| ३. | नक्सापास फारम, निवेदन, सूचना, प्रमाणपत्र ईत्यादी | १,५००/- | |
| ४. | बुडर-दैजी सडक खण्ड र जोगबुडा परशुरामधाम सँग जोडिएका बजार आसपास ५०० मिटर सम्मका घर प्रति वर्ग फिट – टिनको छाना भएको घर र प्रिफ्याक घर | १.५/- | |
| ५. | बाँकी बजार क्षेत्रको ग्रामीण क्षेत्र प्रति वर्ग फिट- टिनको छाना भएको घर र प्रिफ्याक घर | १.३७५/- | |
| ६. | बुडर-दैजी सडक खण्ड र जोगबुडा परशुरामधाम सँग जोडिएका बजार आसपास ५०० मिटर सम्मका घर प्रति वर्ग फिट -स्टिल स्ट्रक्चरको घर | ३/- | |
| ७. | बाँकी बजार क्षेत्रको ग्रामिण क्षेत्र प्रति वर्ष फिट – स्टिल स्ट्रक्चरको घर | २.७५/- | |
| **(ञ)** | **भवन नियमित तथा अभिलेखिकरण दस्तुर** | | |
| १. | बुडर-दैजी सडक खण्ड र जोगबुडा परशुरामधाम सँग जोडिएका बजार आसपास ५०० मिटर सम्मका घर प्रति वर्ग फिट- आर.सि.सि संरचनाको हकमा | ६/- | |
| २. | बाँकी बजार क्षेत्रको ग्रामीण क्षेत्र प्रति वर्ग फिट - आर.सि.सि संरचनाको हकमा | ५.५/- | |
| ३. | बुडर-दैजी सडक खण्ड र जोगबुडा परशुरामधाम सँग जोडिएका बजार आसपास ५०० मिटर सम्मका घर प्रति वर्ग फिट – लोड बियरिङ संरचनाको हकमा | ४.५/- | |
| ४. | बाँकी बजार क्षेत्रको ग्रामीण क्षेत्र प्रति वर्ग फिट - लोड बियरिङ संरचनाको हकमा | ४.१२५/- | |
| ५. | बुडर-दैजी सडक खण्ड र जोगबुडा परशुरामधाम सँग जोडिएका बजार आसपास ५०० मिटर सम्मका घर प्रति वर्ग फिट – टिनको छाना भएको घर टहरा वा सो सरह | ३/- | |
| ६. | बाँकी बजार क्षेत्रको ग्रामीण क्षेत्र प्रति वर्ग फिट - टिनको छाना भएको घर टहरा वा सो सरह | २.७५/- | |
| ७. | बुडर-दैजी सडक खण्ड र जोगबुडा परशुरामधाम सँग जोडिएका बजार आसपास ५०० मिटर सम्मका घर प्रति वर्ग फिट - टिनको छाना बाहेकको अन्य कच्ची संरचना | ३/- | |
| ८. | बाँकी बजार क्षेत्रको ग्रामीण क्षेत्र प्रति वर्ग फिट - टिनको छाना बाहेकको अन्य कच्ची संरचना | २.७५/- | |
| ९. | भवन नियमन तथा अभिलेखिकरण निवेदन र प्रमाणपत्र दस्तुर | १५००/- | |

| (ट) पटके शुल्क | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **पटके शुल्क तथा दस्तुर** | **दर (रु.)** | **कैफियत** |
| १. | जिप र सामानको प्रति ट्रिप | २५०/- | |
| २. | मिनी ट्रक र सामानको प्रति ट्रिप | ३००/- | |
| ३. | ठूलो ट्रक र सामानको प्रति ट्रिप | ५००/- | |
| ४. | झोला ब्यापारी (सानो) प्रति ट्रिप | २००/- | |
| ५. | झोला ब्यापारी (ठूलो) प्रति ट्रिप | ३००/- | |
| **(ठ)** | **फोहरमैला व्यवस्थापन शुल्क** | | |
| १. | व्यवसायिक पसल/फर्म/संस्था मासिक | २००/- | |
| २. | घरका लागि मासिक | ५०/- | |
| ३ | दण्ड जरिवाना - ४० माइक्रोन भन्दा न्युन गुणस्तरको प्लाष्टिक खरिद बिक्रि भण्डारण आयात र निर्यात गरिएको भेटिएमा नियमानुसार पहिलो पटकको लागि | ५०००/- | |
| ४. | दण्ड जरिवाना - ४० माइक्रोन भन्दा न्युन गुणस्तरको प्लाष्टिक खरिद बिक्रि भण्डारण आयात र निर्यात गरिएको भेटिएमा नियमानुसार दोस्रो पटकको लागि | १००००/- | |
| ५. | दण्ड जरिवाना - ४० माइक्रोन भन्दा न्युन गुणस्तरको प्लाष्टिक खरिद बिक्रि भण्डारण आयात र निर्यात गरिएको भेटिएमा नियमानुसार तेस्रो पटकको लागि | १५०००/- | |
| ६. | दण्ड जरिवाना - ४० माइक्रोन भन्दा न्युन गुणस्तरको प्लाष्टिक खरिद बिक्रि भण्डारण आयात र निर्यात पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पटक भन्दा बढी पटक गरेमा नियमानुसार अन्य कारवाही गरिने | | |
| ७. | दण्ड जरिवाना -खुला स्थानमा दिसा पिसाब गरेमा प्रत्येक पटकका लागि | ५००/- | |
| ८. | दण्ड जरिवाना -स्रोतमा फोहर वर्गीकरण नगरी फोहोर गरेमा प्रत्येक पटकका लागि | ५००/- | |
| ९. | दण्ड जरिवाना -जल, नदीनाला पाटीपौवा, धार्मिक स्थल वा सार्वजनिक स्थानमा प्रदुषण वा फोहोर गरेमा प्रत्येक पटकका लागि | ५०००/- | |
| १०. | दण्ड जरिवाना — निर्माणजन्य फोहर सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने कार्य गरेमा प्रत्येक पटकका लागि | १००००/- | |
| ११. | दण्ड जरिवाना — उद्योग, पसल, व्यवसाय, प्रतिष्ठान, संस्था र घरहरुले जथाभावी वा मापदण्ड विपरित फोहर पानी नहर, कुलो, खोलामा मिसाएमा वा सार्वजनिक स्थानमा बगाएमा प्रत्येक पटकका लागि | ५०००/- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(ड) व्याक्तिगत घट्ना दर्ता तर्फ** | | | |
| १. | व्याक्तिगत घट्ना दर्ताको विलम्ब शुल्क | रु.२००/- | |
| २. | व्याक्तिगत घट्ना दर्ता प्रमाणपत्रको नक्कल दस्तुर | रु. ५००/- | |
| **(ढ) सांस्कृतिक पर्यटकिय क्षेत्र परशुरामधाममा लाग्ने शुल्क** | | | |
| क्र.सं | विवरण | दर (रु.) | कैफियत |
| १. | दाउरा (प्रति के.जि ) | रु १०/- | |
| २. | परशुरामधाम क्षेत्र भित्र व्यापार व्यावसाय संचालनका लागि नियमित रुपमा जग्गा उपयोग गरेको प्रति बर्ग मिटर प्रति महिना | रु ५०/- | |
| ३. | परशुरामधाम क्षेत्र भित्र मेला महोत्सवमा व्यापार व्यावसाय संचालनका लागि जग्गा उपयोग गरेको प्रति बर्ग मिटर | रु १००/- | |
| **(ण)** | **परशुरामधाम क्षेत्र भित्र मेला महोत्सवको समयमा मात्र लाग्ने पार्किङ शुल्क** | | |
| १. | बस/ट्रक | १५०/- | |
| २. | जिप/कार | १००/- | |
| ३. | ट्याक्टर | १००/- | |
| ४. | लोडर | २००/- | |
| ५. | अटो, रिक्सा | ८०/- | |
| ६. | टेम्पो | ८०/- | |
| ७. | मोटरसाईकल/स्कुटर | ५०/- | |
| **(त)** | **प्रतिबन्धित क्षेत्रमा कृषी तथा मासुजन्य पदार्थ बिक्रि वितरण गरेमा लाग्ने जरिवाना दस्तुर।** | | |
| १. | प्रतिबन्धित क्षेत्रमा तरकारी, फलफूल, कृषी तथा मासुजन्य पदार्थ विक्रि वितरण गरेमा (पहिलो पटकका लागि) | १०००/- | |
| २. | प्रतिबन्धित क्षेत्रमा तरकारी, फलफूल, कृषी तथा मासुजन्य पदार्थ विक्रि वितरण गरेमा (दोस्रो पटकका लागि) | ३०००/- | |
| ३. | प्रतिबन्धित क्षेत्रमा तरकारी, फलफूल, कृषी तथा मासुजन्य पदार्थ विक्रि वितरण गरेमा (तेस्रो पटक वा सो भन्दा माथि) | ५०००/- | |
| ४. | प्रतिबन्धित क्षेत्रमा तरकारी, फलफूल, कृषी तथा मासुजन्य पदार्थ रिटेलिङ गरेमा (पहिलो पटकका लागि) | ३०००/- | |
| ५. | प्रतिबन्धित क्षेत्रमा तरकारी, फलफूल, कृषी तथा मासुजन्य पदार्थ रिटेलिङ गरेमा (दोस्रो पटकका लागि) | ५०००/- | |
| ६. | प्रतिबन्धित क्षेत्रमा तरकारी, फलफूल, कृषी तथा मासुजन्य पदार्थ रिटेलिङ गरेमा (तेस्रो पटक वा सो भन्दा माथि) | ७०००/- | |
| **नोट- कार्यपालिकाको २०८१/११/०८ को निर्णय बमोजिम प्रतिबन्धित क्षेत्र भन्नाले लालढुङ्गा बजारक्षेत्र (पुर्वमा ट्राफिक चेकपोष्ट देखी पश्चिम सिद्धाथान चौराह क्षेत्र)** | | | |

## अनुसूची- १६
## (दफा १५ सँग सम्बन्धित)
## पार्किङ्ग शुल्कको दर

| क्र.सं. | सवारीको नाम | दर (रु.) | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | बस/ट्रक | १००/- | |
| २. | जिप/कार | ५०/- | |
| ३. | ट्र्याक्टर | १००/- | |
| ४. | लोडर | २००/- | |
| ५. | मोटरसाईकल /स्कुटर | १०/- | |
| ६. | अटो, रिक्सा | २०/- | |
| ७. | टेम्पो | ३०/- | |

## अनुसूची- १७
## (दफा १६ सँग सम्बन्धित)
## नदीजन्य पदार्थ बिक्री शुल्कको दर

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | न्यूनतम दर |
|---|---|---|---|
| १. | ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भरान, ग्राभेल र रोडा | प्रति घनफिट | सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट आ.व. २०८३।०८४ का लागि तोकिए बमोजिम हुने |
| २. | माटो | प्रति घनफिट | सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट आ.व. २०८३।०८४ का लागि तोकिए बमोजिम हुने |

**अनुसूची- १८**
**(दफा १७ सँग सम्बन्धित)**
**दण्ड जरिवानाको दर**

**१. नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भरान, ग्राभेल, रोडा, दहत्तर बहत्तर सम्बन्धि दण्ड जरिवाना सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।**

| क्र.सं. | विवरण | जरिवाना |
|---|---|---|
| १. | नदीको वहाव वा पानी बगेको क्षेत्रमा प्रवेश वा संकलन गरेमा(प्रति मेशिन वा साधनको) | |
| | मेशिन स्काभेटर व्याको लोडर | रु. ५० हजार |
| | ट्रिपर वा ट्रक | रु. ३० हजार |
| | मिनी ट्रक | रु. २० हजार |
| | ट्याक्टर | रु.१५ हजार |
| २. | बिना अनुमति मेशिन औजार प्रयोग गरी उत्खनन् वा संकलन गरेको पाइएमा | रु. ५० हजार |
| ३. | तोकिएको भन्दा बढी गहिराइमा उत्खनन् गरेमा | रु. ४० हजार (प्रति घनमिटर) |
| ४. | तोकिएको भन्दा बढी संख्यामा मेशिन प्रयोग गरेमा (प्रति मेशिन) | रु. ३० हजार |
| ५. | नदिको बहाव परिवर्तन गरी उत्खनन् गरेमा ( प्रति मेशिन वा साधन ) | रु. ३० हजार |
| ६. | निषेधित क्षेत्रमा साधन तथा मेशिन प्रयोग गरीउत्खनन् वा संकलन गरेमा | रु. ३० हजार |
| ७. | राजमार्ग र मुख्य सडकको अधिकार क्षेत्रमा संकलन वा सञ्चय गरेमा | रु. ३० हजार |
| ८. | क्र.सं. १ देखि ७ सम्मको कार्य पुनः दोहोर्याएमा | तोकिएको रकममा ५० प्रतिशत थप जरिवाना |

| | | |
|---|---|---|
| ९. | पानी, हिलो, धुलो वा गिट्टी चुहाउदै, उडाउदै वा झर्दै नदीजन्य स्रोतको ढुवानी गरेमा | रु. ३ हजार प्रतिपटक |
| १०. | प्रत्येक पटकको ढुवानीमा राजस्व तिरेको निस्सा र चलान साथमा रहेको नभेटिएमा (अप्रशोधित सामग्रीको हकमा) | रु. ३ हजार प्रतिपटक |
| ११. | प्रशोधित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, धुलोका हकमा प्रत्क पटकको ढुवानी कार्यमा प्रशोधन उद्योगबाट जारी भएको छुट्टै मूल्य अभिबृद्धी कर बीजक तथा चलान पुर्जा साथमा रहेको नभेटीएमा | रु. ३ हजार प्रतिपटक |
| १२. | प्रचलित कानूनले अनुमति दिएको परिमाण वा क्षमताभन्दा बढी ढुवानी गरेमा | रु. ५ हजार प्रतिपटक |
| १३. | रुट तोकिएको भए तोकिदिएको बाहेको रुट, समय, गति वा सङ्ख्यामा ढुवानी गरेमा | रु. ५ हजार प्रतिपटक |
| १४. | जिल्ला अनुगमन समितिले मौज्दात प्रमाणित गर्दा खरिद बिक्रि परिमाणमा हिसाब मिलान नभई कैफियत देखिएमा सो बराबरको परिमाणमा जरिवाना | रु. २५ प्रतिघनफिट |
| १५. | नदिजन्य प्राकृतिक स्रोत प्रशोधन उद्योगले कानु वा मापदण्ड विपरित क्रसिङ, वासिङ वा अन्य प्रशोधन कार्य गरेमा वा सो कार्य गर्ने उद्योग संचालन गरेमा | (क)ठुला उद्योग — रु.३० हजार |
| | | (ख)मझौला उद्योग - रु.२० हजार |
| | | (ग) साना उद्योग — रु. १० हजार |
| १६. | दर्ता हुनु पर्ने निकायमा दर्ता नभई/अनुमति नलिई/नविकरण नगरी प्राकृतिक स्रोत प्रशोधन उद्योग संचालन गरेमा | (क)ठुला उद्योग — रु.३० हजार |
| | | (ख)मझौला उद्योग - रु.२० हजार |
| | | (ग) साना उद्योग — रु. १० हजार |

## अनुसूची- १९
### (दफा १८ सँग सम्बन्धित)
### नि:शुल्क सेवा तथा सिफारिस

| क्र.सं. | नि:शुल्क प्रदान गरिने सेवा तथा सिफारिस विवरण | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | व्यक्तिगत घटना दर्ता (३५ दिन सम्म) | नि:शुल्क | |
| २. | नि:शुल्क उपचार सिफारिस | नि:शुल्क | |
| ३. | स्वास्थ्य समस्या सिफारिस | नि:शुल्क | |
| ४. | आगलागी सिफारिस | नि:शुल्क | |
| ५. | प्राकृतिक प्रकोप बाढीपीडित सिफारिस | नि:शुल्क | |
| ६. | असहाय आर्थिक सहयोग सिफारिस | नि:शुल्क | |
| ७. | सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिका लागि सिफारिस | नि:शुल्क | |
| ८. | नक्सा पास सर्जमिन | नि:शुल्क | |
| ९. | सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने निवेदन दर्ता, नवीकरण तथा सिफारिस | नि:शुल्क | |
| १०. | झै-झगडा मेलमिलाप परामर्श सेवा, कानुनी सहायताका लागि गरिने सिफारिस | नि:शुल्क | |
| ११. | अपाङ्ग परिचयपत्रका लागि सिफारिस | नि:शुल्क | |

**नगर सभाबाट स्वीकृत मितिः २०८३/०३/०७**
**प्रमाणीकरण मितिः २०८३/०३/०७**

**आज्ञाले**
**खगेन्द्र साउँद**
**प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत**